जगदीशराम बनाम रामकिशोर वगैरह
प्रार्थना पत्र संख्या 02/2020

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 02/2020

प्रार्थी :–

1. जगदीशराम पुत्र रामदेव
   जाति–जाट, निवासी–रोल, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामकिशोर पुत्र रामनिवास जाति–जाट, निवासी–दुगोली, तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. दरगाह कमेटी रोल द्वारा सदर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर।
3. अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1612 रकबा 1.9587 हैक्टैयर आया हुआ है। इसके चिपता दक्षिण पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नं. 1611, एवं अप्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा न 1606 आया है। उक्त खेताय से आगे मुख्य सड़क डीडवाना–नागौर आई हुई है। प्रार्थी के उक्त खेत में आने जाने के लिए कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है, प्रार्थी अपने उक्त खातेदारी खेत में मुख्य सड़क से फटकर अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के खेत की दक्षिणी माठ के अन्दर पास–2 से होते हुये (नजरी नक्शानुसार मार्क अ–ब–स) आता जाता रहा है। इस प्रकार रास्ते के अभाव में प्रार्थी ने अपने खेत में काश्त करने से वंचित रहने की नोबत आ गई है। चूंकि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा इसी रास्ते से कम से कम कृषि योग्य भूमि को रास्ता के उपयोग में लिया जाकर प्रार्थी का आवागमन संभव होगा।

16/08/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1612 ग्राम रोल में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसे अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1606 व 1611 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क अ–ब–स 12 फीट चौड़ाई में स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 3 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने पैरवी हेतु वकालातनामा व जवाब पेश किया।

3. प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त भू.अ. मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 में बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वांछित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा अन्य खेतो में से आना जाना करते है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित/प्रस्तावित रास्ते की भूंमि पर कच्चे पत्थरों की 2 फीट चौड़ाई व 4 फीट उंचाई में दीवार बनी हुई है। प्रस्तावित रास्ते के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1606 व 1611 में से 48–48 गठठा लम्बाई व 2–2 गठ्ठा चौड़ाई हेतु कुल 0.05 बीघा भूमि उपभोग में आयेगी तथा उक्त खसरा की डी.एल. सी. दर राशि 25118 रू. प्रति बीघा होना रिपोर्ट अंकित किया है।

प्रकरण के विचाराधीन रहते वकील प्रार्थी (अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2) ने प्रकरण में से मो. फारूख का नाम हटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील अप्रार्थी (प्रार्थी) ने उक्त प्रार्थना पत्र जवाब पेश नही किया तथा सीधे बहस का निवेदन करने पर बहस वकुलाय सुनी जाकर वकील प्रार्थी (अप्रार्थीगण) का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से दिनांक 19.01.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा मिसल वास्ते जवाब/आपत्ति नियत की गई।

4. वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र 251क में वर्णित पैराज के संबंध में जवाब/आपत्ति पेश कर बताया कि प्रार्थी का यह तथ्य गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 का खेत हो, बल्कि डोली भूमि है, तथा इसके पूर्व में नागौर से डीडवाना सड़क होने का तथ्य भी गलत है। खसरा नं. 1606 मौजा रोल का

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

आखिरी खेत है, जिसके पूर्व में अन्य गांव की सरहद लगती है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी के खेत में से अपने खातेदारी में खेत में आना जाना करता रहा हो, जबकि प्रार्थी का आवागमन गांव रोल में से खसरा नं. 1868/1599 की पूर्वी माठ के पास–2 होकर उतर की तरफ स्थित खसरा नं. 1602 व 1604 में से करता रहा है तथा खसरा नं. 1604 की भूमि प्रार्थी ने खरीद कर रखी है, परन्तु खातेदारी अन्य व्यक्तियों के नाम है। जिसमें प्रार्थी के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा नजदीकी रास्ता भी है तथा प्रार्थी इसी खेत में अपने खातेदारी खेत में काश्त कसरण हेतु प्रवेश करता है। प्रार्थी के खेत में आवागामन के वैकल्पिक रास्ते को जवाब के संलग्न नजरी नक्शानुसार प्रदर्शित मार्क ए से बी किया गया है। इसलिए प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अप्रार्थी की भूमि नागौर डीडवाना सड़क पर स्थित है जिसकी डी.एल.सी. दर 100000 रू. प्रति बीघा तथा बाजार दर 10,00,000 रू. प्रति बीघा है। प्रार्थी उक्त बहुमूल्य कीमती भूमि में नया रास्ता कायम करवाकर अप्रार्थी को हानि कारित करना चाहता है।

इसी प्रकार खसरा नं. 1604 में प्रार्थी व उसके परिवार का कब्जा न हो इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा खण्डन नहीं किया गया इस तथ्य की पुष्ठि बाबत् प्रार्थी का शपथ पत्र लिया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते बाबत् शुल्क जमा कराने में सहमति व्यक्त की है। चूंकि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्त उपलब्ध है फिर भी यदि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहता है तो अप्रार्थी बाजार मूल्य 10,00,000 रू. प्रति बीघा की दर से जितनी रास्ते बाबत् भूमी प्रार्थी से चाहता है, उसकी दुगुनी कीमत अदा कर प्राप्त कर सकता है।

वकील अप्रार्थी ने आगे प्रार्थना पत्र के संबंध में अतिरिक्त मजिद आपत्तियां पेश करते हुये अंकित किया कि प्रार्थी ने खातेदारी खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुये भी खसरा नं. 1606 जो धारा 46 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिबंधीत भूमि (डोली भूमि) जो कि किसी भी व्यक्ति को अन्तरण/बैचान/बक्सीस नहीं की जा सकती है में से अप्रार्थी के खेत जिसके चारो तरफ पत्थरों की दीवार व पानी का टांका बना हुआ है को तुड़वाकर क्षति कारित करने की गरज पेश किया है। इसी प्रकार यदि विकल्प के तौर पर प्रार्थी को अप्रार्थी क खेत में से आवामन हेतु रास्ता दिलाया जाता है तो जितनी भूमि रास्ते के लिए उपयोग–उपभोग के लिए दी जाती है तो प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के बदले अपने भूमि की दोगुनी भूमि दे तो अप्रार्थी को उक्त रास्ता देने में किसी प्रकार आपत्ति नहीं होना अपने जवाब में अंकित किया।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब आपत्तिया पेश हो चुकी है तथा मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक भी प्रकरण में प्राप्त हो चुकी है। चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने तथा इस प्रकार के प्रकरणो का निर्धारित समय सीमा 90 दिन में निस्तारण किये जाने के प्रावधान है। इसलिए वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

5. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1612 रकबा 1.9587 हैक्टैयर आया हुआ है। इसके चिपता दक्षिण पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नं. 1611 एवं अप्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा नं. 1606 आया है। उक्त खेताय से आगे मुख्य सड़क डीडवाना–नागौर आई हुई है। प्रार्थी के उक्त खेत में आने जाने के लिए कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है, प्रार्थी अपने उक्त खातेदारी खेत में मुख्य सड़क से फंटकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत की दक्षिणी माठ के अन्दर पास–2 से होते हुये (नजरी नक्शानुसार मार्क अ–ब–स) आता जाता रहा है। इस प्रकार रास्ते के अभाव में प्रार्थी ने अपने खेत में काश्त करने से वंचित रहने की नोबत आ गई है। चूंकि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा इसी रास्ते से कम से कम कृषि योग्य भूमि को रास्ता के उपयोग में लिया जाकर प्रार्थी का आवागमन संभव होगा।

अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1612 ग्राम रोल में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसे अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1606 व 1611 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क अ–ब–स 12 फीट चौड़ाई में स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

6. वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थी के वकील द्वारा प्रकरण में दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि खसरा नं. 1606 मौजा रोल का आखिरी खेत है, जिसके पूर्व में अन्य गांव की सरहद लगती है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी के खेत में से अपने खातेदारी में खेत में आना जाना करता रहा हो। प्रार्थी का आवागमन गांव रोल में से खसरा नं. 1868/1599 की पूर्वी माठ के पास–2 होकर उतर की तरफ स्थित खसरा नं. 1602 व 1604 में से करता रहा

है तथा खसरा नं. 1604 की भूमि प्रार्थी ने खरीद कर रखी है, परन्तु खातेदारी अन्य व्यक्तियों के नाम है। जिसमें प्रार्थी के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा नजदीकी रास्ता भी इसी खेत में से होकर है, जिसे जवाब के संलग्न नजरी नक्शानुसार प्रदर्शित मार्क ए से बी किया गया है। इसलिए प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अप्रार्थी की भूमि नागौर डीडवाना सड़क पर स्थित है जिसकी डी.एल.सी. दर 100000 रू. प्रति बीघा तथा बाजार दर 10,00,000 रू. प्रति बीघा है। प्रार्थी उक्त बहुमूल्य कीमती भूमि में नया रास्ता कायम करवाकर अप्रार्थी को हानि कारित करना चाहता है।

इसी प्रकार खसरा नं. 1604 में प्रार्थी व उसके परिवार का कब्जा न हो इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा खण्डन नहीं किया गया इस तथ्य की पुष्ठि बाबत् प्रार्थी का शपथ पत्र लिया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते बाबत् प्रतिकर राशि भुगतान हेतु सहमति व्यक्त की है। चूंकि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्त उपलब्ध है फिर भी यदि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहता है तो अप्रार्थी बाजार मूल्य 10,00,000 रू. प्रति बीघा की दर से जितनी रास्ते बाबत् भूमी प्रार्थी से चाहता है, उसकी दुगुनी कीमत अदा कर प्राप्त कर सकता है।

वकील अप्रार्थी ने आगे प्रार्थना पत्र के संबंध में अतिरिक्त मजिद आपत्तियां पेश करते हुये अंकित किया कि प्रार्थी ने खातेदारी खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुये भी खसरा नं. 1606 जो धारा 46 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिबंधीत भूमि (डोली भूमि) जो कि किसी भी व्यक्ति को अन्तरण, बेचान, बक्सीस नहीं की जा सकती है। प्रार्थी अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1611 जिसके चारो तरफ पत्थरों की दीवार व पानी का टांका बना हुआ है, को तुड़वाकर क्षति कारित करने की गरज पेश किया है। यदि विकल्प के तौर पर प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत में से आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जाता है तो जितनी भूमि रास्ते के लिए उपयोग–उपभोग के लिए दी जाती है तो अप्रार्थी की भूमि के बदले भूमि की दोगुनी भूमि प्रार्थी दिये जाने पर उक्त रास्ता देने में किसी प्रकार आपत्ति नहीं होना दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने कथन किया।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात्, मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक तथा जवाब/आपत्तियों एवं बहस वकुलाय पर मनन किया गया। भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वांछित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा अन्य खेतो में से आना जाना करते है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित/प्रस्तावित रास्ते की भूमि

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

पर कच्चे पत्थरों की 2 फीट चौड़ाई व 4 फीट उंचाई में दीवार बनी हुई है। प्रस्तावित रास्ते के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1606 व 1611 में से 48–48 गठठा लम्बाई व 2–2 गठ्ठा चौड़ाई हेतु कुल 0.05 बीघा भूमि उपभोग में आयेगी तथा उक्त खसरा की डी.एल.सी. दर राशि 25118 रू. प्रति बीघा है। उक्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव बताया गया है। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने यह आपत्ति जाहिर की है कि प्रार्थी के का आवागमन उसके ही खरीद सुदा खेत खसरा नं. 1604 में से रहा है, जिसकी खातेदारी अन्य व्यक्तियों के नाम है परन्तु कब्जा काश्त प्रार्थी का ही है यदि प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तो उनसे इस संबंध में शपथ पत्र लिया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशानुसार किसी भी खातेदार काश्तकार को अपने खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न होने की दशा में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर निकटतम कटाणी रास्ते से रास्ता दिलाने का का प्रावधान है। इसी प्रकार प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते के लिए उपभोग/उपयोग में आने वाली भूमि के बदले में भूमि अथवा बाजार दर 10,00,000 रू. प्रति बीघा के हिसाब से प्रतिकर राशि का भुगतान दिलाया जावे। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क में भूमि के बदले भूमि अथवा बाजार दर से भुगतान दिलाये जाने का प्रावधान नहीं है।

इस प्रकरण में प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1612 में आने जाने के लिए मुख्य कटाणी मार्ग डीडवाना–नागौर सड़क जो कि कटाणी रास्ता है से माफिक नजरी नक्शानुसार ए–बी–सी अनुसार ख़सरा नं. 1606 व 1611 में से प्रस्तावित किया है, मौका रिपोर्ट के अवलोकन से अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होती है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 1606 व 1611 में से प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट अनुसार 12 फीट चौड़ाई में दिया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो का लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–रोल तहसील जायल के खसरा नं. 1606 व 1611 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 के

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.)
जायल जिला नागौर

अनुसार लाल स्याही से डोटेट मार्क ए–बी–सी के अनुसार 12 चौड़ाई में घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम रोल तहसील जायल के खसरा नं. 1606 व 1611 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी प्रहलादराम से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16/06/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

16/06/2021.

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 16/07/2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के RT Act 1955 की धारा 251क के प्रकरण संख्या 02/2020 अनवान जगदीशराम बनाम रामकिशोर जाति जाट निवासी रोल मे मौके की जांच एवम् तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु पटवारी हल्का बजरगलाल के साथ मौजा रोल के ख.न. 1606, 1611, 1612 के मौके पर पहुंचा। प्रार्थीगण द्वारा ख.न. 1606, 1611 मे से नजरी नक्शा मे [illegible] अनुसार रास्ता चाहा गया है। मौका निरीक्षण कर मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

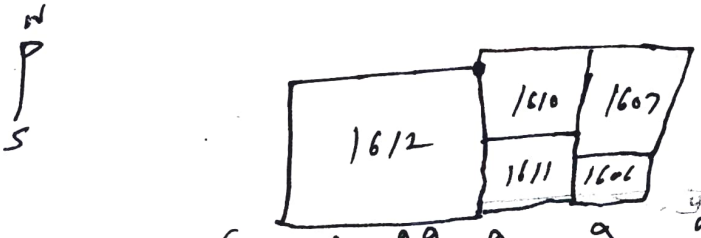

1. प्रार्थीगण के खेतो मे आने जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण अन्य खेतो से होकर आना जाना करते है।
2. प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है।
3. प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर ख.न. 1611 की पूर्वी व पश्चिमी दक्षिणी सीव पर पत्थरो की कच्ची दीवार है जो 2 फुट चौडी व 4 फुट ऊंची है।
4. वांछित रास्ते मे जाने वाला रकबा निम्न प्रकार है

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रास्ते मे आने वाला रकबा लं.	चौ.	
1.	दरगाह कमेटी रोल	1606	48 गट्ठा	2 गट्ठा	⇒ (5 बिस्वा)
2.	रामकिशोर पुत्र रामनिवास जाट	1611	48 गट्ठा	2 गट्ठा	⇒ (5 बिस्वा)

भूमि की D.L.C दर 20118/- प्रति बीघा है। रिपोर्ट मौके पर तैयार की जाकर पढकर सुनवाई गई। उपस्थितान के हस्ताक्षर कराये गये।

प्रतिलिपि [illegible]

C.S. [illegible] 16/07/2020

[illegible] 16/7/2020

ILR-रोल 16-07-2020